न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री राधेश्याम आर.ए.एस.

मुकदमा सं. 18/2020

दायरा दिनांक :– 09.12.2020

सायल		गैर सायल
1. सुरेन्द्र पुत्र श्री भीकसिंह 2. अन्जना पुत्री श्री भीकसिंह 3. रन्जना पुत्री श्री भीकसिंह नि. देसुरी	बनाम	1.राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसुरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

(1) अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपूरोहित उपस्थित

(2) राजकीय पेरोकार उपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग) पाली

निर्णय

दिनांकः–27.09.21

यह अपील तह. देसुरी के ना.क. संख्या 3415 जो दिनांक 20.11.2020 को भरकर स्वीकृत किया गया।

जे म्यूटेशन सिविल न्यायालय के डिक्री की पालना में भरा गया था। उसी म्यूटेशन को बिना अपीलाण्ट को सुने एक तरफा तारीख 24.11.2020 को रिव्यू करते हुए निरस्त कर दिया।

साथ में यह भी लिखा गया कि माननीय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 10.11.2020 का आर.ए.ए पाली के निर्णय दिनांक 03.11.2020 को विवादीत आराजी पर उभय पक्ष आज के मौके की एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मंडल की आगामी पेशी दिनांक 12.01.2021 तक यथावतर रखें कि प्रथम तो उक्त अपील अपीलाण्ट के विरूद्ध नही है बल्कि बालेट कंवर ने सोहनसिंह के विरूद्ध पेश की है। सिविल

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली

न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील करके स्टे भी नही है, ऐसी सूरत में पूर्व में भरा गया म्यूटेशन आदेश दिनांक 20.11.2020 को स्वीकृत करने संबन्धी को कायम रखने योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया म्यूटेशन संख्या 3415 व ईकरारनामा के जरिये जो डिक्री हुई है उसकी प्रतिलिपि माननीय राजस्व मंडल राजस्थान के निर्णय का अवलोकन किया। मेरी राय में तहसीलदार को अपने स्तर पर रिव्यू नही करना चाहिये था। जो कोई भी प्रभावित पक्षकार है, उसके अपीलाण्ट करने का अधिकार बचा हुआ है, वह चाहे तो रिव्यू करने के लिए पिड़ित पक्षकार रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश कर सकता था। ऐसी सूरत में यह अपील स्वीकार करने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है ग्राम देसुरी ना.क. संख्या 3415 दिनांक 20.11.2020 को स्वीकार किया है जो माननीय सिविल कोर्ट देसुरी के निर्णय दिनांक 04.03.2020 की पालना को सुनिश्चित करें तथा इसी म्यूटेशन में तारीख 24.11.2020 को जो रिव्यू किया है उसको सिविल कोर्ट देसुरी के निर्णय दिनांक 04.03.2020 के सन्दर्भ में पालना करें।

पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति साथ तहसीलदार देसुरी को मूल ना.क. के साथ भेजी जावें।

27.1.21

(राधेश्याम)

आर.ए.एस

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)

पाली (राज.)